

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स. बीपीसी/2008/डी-१०९६

दिनांक: २७/८/०८

श्री शब्दीर खान,
मैसर्स रिनायसेन्स बिल्डिंग प्रा.लि.,
10, राजहंस कोलोनी,
नृसिंह मार्ग ब्रह्मपुरी,
जयपुर।

२८

विषय:- खसरा नम्बर ८५४, ८५५, ८६४, ८६५, ८६६, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४, ८७५, ८५६/१, ८६७/१, ८७३/१ ग्राम श्री किशनपुरा, तहसील सांगानेर के उपविभाजित भूखण्ड (32907.20 वर्ग गज) पर अनुमोदित आवासीय परियोजना आशादीप ग्रीन आर्चिड (A project for CGE WHO) के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2007 के संदर्भ में मानचित्र अनुमोदन के लिए जो प्रस्ताव खसरा नम्बर ८५४, ८५५, ८६४, ८६५, ८६६, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४, ८७५, ८५६/१, ८६७/१, ८७३/१ ग्राम श्री किशनपुरा, तहसील सांगानेर के उपविभाजित भूखण्ड (32907.20 वर्ग गज) पर अनुमोदित आवासीय परियोजना आशादीप ग्रीन आर्चिड (A project for CGE WHO) के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) में दिनांक 14.02.2008 को निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह जुलाई, वर्ष 2011 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कत्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा। इसी तरह सूचना प्लिन्थ लेविल तक निर्माण किये जाने पर भी प्रस्तुत की जायेगी।
5. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
6. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
7. स्वामी प्रत्येक मजिल के लिए स्वीकृत पार्किंग आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं

9. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
10. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
11. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।
12. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
13. आवेदक द्वारा जारी किये जा रहे अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार बेसमेन्ट/स्टिल्ट के पार्किंग क्षेत्र को अन्डरटेकिंग/समर्पणनामें अनुसार भवन निर्मित होन पर जविप्रा के पक्ष में समर्पित किया जाना होगा एवं जिसका कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा विधिवत् प्राप्त किया जावेगा।
14. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगावाया जावें।
15. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में आप द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
16. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी।

भवदीय
27/8/08
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. उपायुक्त, जोन....., जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. सहायक अधियन्ता/कनिष्ठ अधियन्ता/सर्वेयर, बीपीसी-द्वितीय, जविप्रा, जयपुर को साईट निरीक्षण पत्रावली हेतु।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर